Annexures

Annexure I

[नियम 6(1) देखें]

प्रपत्र-ए

वन भूमि के अधिकार के लिए दावा प्रपत्र [नियम 11(1)(a) देखें]

- 1. **ढावेढार का नाम**: अभिषेक गोले
- 2. पति/पती का नाम: यश
- 3. **पिता/माता का नाम**: नमन
- 4. **लिंग**: पुरुष
- 5. **गाँव**: डोंबिवली
- 6. **ग्राम पंचायत**: दुर्गा
- 7. **तहसील/तालुका**: कल्याण
- 8. **पेशा**: खेती
- 9. दस्तावेज़ की स्थिति: स्वीकृत
- 10. **ज़िला**: ठाणे
- 11. **समुदाय**: A
- 12. (a) अनुसूचित जनजाति: हाँ/नहीं (प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) (b) अन्य पारंपरिक वनवासी: हाँ/नहीं (यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से हैं तो प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- 13. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और उम्र: (बच्चों और वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे की प्रकृति:

- 1. अधिग्रहित वन भूमि का विस्तार: (a) निवास के लिए: (b) स्व-खेती के लिए, यदि कोई हो: (अधिनियम की धारा 3(1)(a) देखें)
- 2. विवादित भूमि, यदि कोई हो: (अधिनियम की धारा 3(1)(f) देखें)
- 3. पट्टे/पट्टा/अनुदान, यदि कोई हो: (अधिनियम की धारा 3(1)(g) देखें)
- 4. **स्वस्थाने पुनर्वास या वैकल्पिक भूमि के लिए भूमि, यदि कोई हो**: (अधिनियम की धारा 3(1)(m) देखें)

वन अधिकार अधिनियम, 2006: अधिनियम, नियम और दिशानिर्देश

- 5. **बिना भूमि मुआवजे के विस्थापित की गई भूमि**: (अधिनियम की धारा 4(8) देखें)
- 6. वन गाँवों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो: (अधिनियम की धारा 3(1)(h) देखें)
- 7. कोई अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो: (अधिनियम की धारा 3(1)(I) देखें)
- समर्थन में साक्ष्य: (नियम 13 देखें)
- 9. कोई अन्य जानकारी:

दावेदार (ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 भारत सरकार जनजातीय मामलों का मंत्रालय